

संगठन का विवरण :

बाल चित्र समिति, भारत (बा.चि.स.भा.) की स्थापना फिल्म जांच समिति (1949) की संस्तुति तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जिनका बच्चों के प्रति लगाव किसी से छिपा नहीं है, के अनुरोध पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान, मई 1955 में की गई। हुआ। संगठन 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और उसका मुख्य उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।

समिति के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हैं। अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों की कार्यकारी परिषद (जो बा.चि.स.भा.के शासी निकाय है) और सामान्य निकाय के भी प्रमुख होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीनस्थ सभी विभाग (प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा) के प्रमुख होते हैं और रोज मरोज के काम करते हैं। बा.चि.स.भा.का मुख्यालय मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई में शाखा कार्यालय के साथ स्थित है।

1. व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) फिल्मों के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति बढ़ावा, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के बीच.

(ख) बच्चों और किशोरों के बीच फिल्मों की सराहना स्वस्थ मनोरंजन बनाने और विकास का प्रयोजन करना

(ग) शुरूवात करना, सहायता करना, प्रायोजक बनना, बढ़ावा देना फिल्मों के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन

समन्वय विशेष रूप से विशेष रुचि के भारत में और विदेशों में बच्चों और किशोरों के लिए अनुकूल करना है।

संगठन का कार्य / कर्तव्य / गतिविधियां :

संगठन निर्माण, अधिग्रहण, वितरण और बच्चों के फिल्मों के माध्यम से संवर्धन के कार्य में लगी हुई है निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा:

1. 35 मिमी, 16 मिमी और डिजिटल मोड में बच्चों की फिल्मों का दोनों आंतरिक और नियतन आधार पर निर्माण इसके अलावा भारत से और विदेश में बच्चों की फिल्मों की खरीद / अधिग्रहण।
2. सिनेमाघर और गैर सिनेमाघर प्रदर्शनी (35 मिमी और 16 मिमी)।
3. फिल्म वितरक के माध्यम से आयोजन करना।
4. फिल्म समारोह - जिला स्तर और राज्य स्तर के फिल्म समारोह.
5. वी एच एस / सी डी / डी वी डी की बिक्री
6. प्रसारण - दूरदर्शन और सैटेलाइट चैनल पर.
7. एनिमेशन और फिल्म कार्यशालाओं का आयोजन.
8. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रतिभागिता.
9. बाल दिवस - 14 नवंबर पर प्रदर्शन.
10. फिल्म निर्माताओं और बच्चों के बीच विचारों के आदान - प्रदान को प्रोत्साहित करने और बच्चों को उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय बाल सिनेमा देखने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से दो सालों में एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन किया जाता है।

समिति के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य :

समिति के अधिकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, निर्माण प्रभारी, विपणन प्रबंधक और ऐसे अन्य व्यक्तियों के रूप में समय - समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष

- 1) भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और नियम 17 के उपबंधों के अधीन तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
- 2) अध्यक्ष, जो भारत सरकार की राय में निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हैं ::
 - क) वह व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं;
 - ख) किसी भी व्यवसाय या पेशे में सफल काम का प्रमाणित रिकार्ड है, चाहे उनकी उम्र जो भी हो ;
 - ग) समिति के काम की निगरानी के लिए कुछ विस्तार में पर्याप्त समय हो, और
 - घ) उनके काम के क्षेत्र में महान व्यक्ति हो।
- 3) अध्यक्ष मानद क्षमता में समिति का काम करें और सामान्य निकाय , कार्यकारी परिषद, वित्त समिति, निर्माण समिति और कार्यकारी परिषद द्वारा स्थापित अन्य समितियों के पदेन अध्यक्ष रहें जब तक इन अन्य समितियों के गठन के समय अन्यथा तय नहीं किया जाए।
- 4) अध्यक्ष समिति के मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं और समय - समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा उन्हें दी गई अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं।

उपाध्यक्ष

- 1) भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किये जाएंगे और नियम 17 के उपबंधों के अधीन तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 2) उपाध्यक्ष ऐसी व्यक्ति हो, जो भारत सरकार की राय में निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हैं:
 - क) वह व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं;
 - ख) फिल्म निर्माण के किसी भी क्षेत्र में या पेशे में सफल काम का प्रमाणित रिकार्ड है, चाहे उनकी उम्र जो भी हो;
 - ग) उनके कार्यक्षेत्र में महान व्यक्ति हो।
- 3) उपाध्यक्ष मानद क्षमता में समिति का काम करें और सामान्य निकाय, कार्यकारी परिषद और / अथवा अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थापित की गई अन्य सभी समितियों के पदेन सदस्य रहें।
- 4) उपाध्यक्ष समय - समय पर अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं जो अध्यक्ष/कार्यकारी परिषद द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं।
- 5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सरकार के पूर्व अनुमोदन पर समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सेवा करेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- 1) कार्यकारी परिषद द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के अनुमोदन पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किये गये अवधि के लिए और निबंधन तथा शर्तों पर नियुक्त किये जाएंगे।
- 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाल फिल्म समिति, भारत के समग्र प्रभारी हो , (और कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य हो) और कार्यकारी परिषद की सभी बैठकों में भाग ले।
- 3) वे कार्यकारी परिषद को इस प्रकार जिम्मेदार हैं:
 - क) निर्माण, खरीद, वितरण, डबिंग और समिति की फिल्मों की प्रदर्शनी आदि के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने
 - ख) समिति की वार्षिक राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना;

- ग) सभी लागत वार्षिक व्यय के भीतर रखने के लिए, समिति के बजट को नियंत्रण;
- घ) यह सुनिश्चित करना है कि समिति द्वारा अर्जित राजस्व और वार्षिक अनुदान सहायता भारत सरकार से फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शनी विकास के लिए कार्यरत हैं;
- e) यह सुनिश्चित करना है कि अनुशासन और अच्छी व्यवस्था बनाए रखकर और सभी आवश्यक कार्रवाई कर समिति का प्रशासन कुशल रहे।
- च) उन्हे समय - समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपी गई अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना।

प्रशासनिक अधिकारी

- क) कार्यकारी परिषद के निर्णयानुसार ऐसी अवधि के लिए और ऐसी निबंधन और शर्तों पर प्रशासनिक अधिकारी को कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त करते हैं,
- ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से समिति की प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी काम के लिए प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी परिषद के लिए जिम्मेदार होगा
- ग) यह उसकी / उसके कर्तव्य होगा: -
 - क) समिति की सभी चल और अचल संपत्ति के प्रमुख संरक्षक होगा और उसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह;
 - ख) समिति की संपत्ति और धन का प्रबंधन जिस उद्देश्य के लिये आवंटित या दिया है उसी के लिए करना;
 - ग) जो स्थापित सामान्य सभा, कार्यकारी परिषद, वित्त समिति, निर्माण समिति और अन्य सभी स्थायी समितियों के पदेन सचिव लेकिन इन समितियों में से किसी के सदस्य नहीं समझा जाएगा;
 - घ) नोटिस जारी करने, इन समितियों की बैठकों के आयोजन और सभी इन समितियों द्वारा नियुक्त समितियों में;
 - ङ) समिति के अधिकारियों की ओर से सरकारी पत्राचार का संचालन करने के लिए;
 - च) वित्तीय सलाहकार की देखरेख में समिति के खातों का रखरखाव और निगरानी, वार्षिक अनुमान की तैयारी ,आय और व्यय लेखा प्रस्तुत करने और तुलनपत्र
 - छ) समिति के सभी प्राधिकारियों और सभी इन प्राधिकारियों द्वारा सभी समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त रखना;
 - ज) समिति की ओर से सभी अनुबंधों और कानूनी दस्तावेजों, न्यास विलेख नोटिस आदि के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए
 - झ) कार्यकारी परिषद द्वारा समय - समय पर ऐसी अन्य शक्तियों और कार्य रूप से उसे इस्तमाल करने के लिए सौंपा जा सकता है।

प्रभारी निर्माता

- 1) कार्यकारी परिषद के निर्णयानुसार ऐसी अवधि के लिए और ऐसी निबंधन और शर्तों पर द्वारा प्रभारी निर्माता को नियुक्त कर सकते;
 - 2) प्रभारी निर्माता बाल चित्र समिति भारत के फिल्मों के निर्माण का प्रभारी होगा,
 - 3) वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से कार्यकारी परिषद के लिए जिम्मेदार होगा :
- क) समिति की फिल्मों के अविरत या अस्थायी किराए पर निर्माण, खरीद और / या अधिग्रहण और डबिंग का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करना ;
 - ख) समिति के वार्षिक फिल्म निर्माण और डबिंग के लक्ष्य को प्राप्त करना ;
 - ग) समिति के वार्षिक निर्माण, खरीद और डबिंग बजट के अंतर्गत सभी लागत को नियंत्रित रखना और
 - घ) समय - समय पर सौंपी गई ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना

विपणन प्रबंधक

- 1) कार्यकारी परिषद के निर्णयानुसार ऐसी अवधि के लिए और ऐसी निबंधन और शर्तों पर द्वारा विपणन प्रबंधक को नियुक्त कर सकते;
- 2) विपणन प्रबंधक समिति के विपणन कार्यों के प्रभारी हो, अर्थात्, बाजार स्टूडियो, फिल्मों के बेहतर और अधिक गहन वितरण और प्रदर्शनी के माध्यम से समिति की गतिविधियों का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी संभावित क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिए वितरकों का नेटवर्क निर्माण करना और स्कूलों में फिल्मों की गहन प्रदर्शनी उपलब्ध करने के लिए राज्यों में शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- 3) विपणन प्रबंधक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:
 - क) समिति के फिल्मों का वितरण और प्रदर्शनी के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए;
 - ख) बाजार सर्वेक्षण का आयोजन, उस की कागजात तैयारी और ऊन पर विचार करने के लिए;
 - ग) समिति की फिल्मों के लिए नए बाजारों की खोज, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और समिति के संसाधनों के भीतर उन तक पहुंचने की तरीके और माध्यम सुझाने के लिए ;
 - घ) बाल फिल्म आंदोलन किस तरह व्यापक और तेज हो सकता है इस संबंधी जांच हेतु समाज सेवी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों के साथ और फिल्म उद्योग के विभिन्न वर्गों से संपर्क बनाए रखने के लिए ;
 - ई) स्कूलों या गाँवों में फिल्मों की लगातार प्रदर्शनी की व्यवस्था करने के लिए , स्थानीय स्तर पर समितियों के गठन के लिए;
 - च) शहरों और कस्बों में बच्चों के फिल्म क्लब बनाने के लिए;
 - छ) बच्चों की फिल्मों पर बच्चों और किशोरों की प्रतिक्रिया पर अनुसंधान करने के लिए;
 - ज) समिति की फिल्मों के वितरण और प्रदर्शनी से वार्षिक राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना और वितरण नेटवर्क का विस्तार और प्रबंध करने के लिए;
 - झ) समिति के वार्षिक वितरण, प्रदर्शनी और फिल्म महोत्सव बजट के भीतर रखने हेतु सभी लागत को नियंत्रित करने के लिए;
 - ड) टेलीविजन, रेडियो और प्रेस जैसे माध्यम एककों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए और ;
 - त) उसे सौंपी गई ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का समय समय पर प्रयोग करने के लिए

समिति के निर्णायक प्राधिकरण

निम्नलिखित समिति के प्राधिकरण होंगे:

- 1) सामान्य सभा ;
- 2) कार्यकारी परिषद ;
- 3) वित्त समिति, और
- 4) निर्माण समिति.

सामान्य सभा

सदस्य: सामान्य सभा के गठन निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- क) अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- कक) उपाध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- ग) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- घ) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के एक प्रतिनिधि;
- ई) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- च) फिल्मों के ज्ञान के साथ पांच से अधिक व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नामित न किया जाए ;
- छ) भारत सरकार द्वारा शिक्षा, कला, बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में प्रख्यात छह से अधिक व्यक्ति नामांकित न किए जाए ;
- ज) प्रत्येक राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य
- झ) इन नियमों के अनुबंध में निर्दिष्ट किये गये समिति के संस्थापक सदस्य और आजीवन सदस्य

कार्यकारी परिषद सदस्य

कार्यकारी परिषद के गठन निम्नलिखित हैं :-

- क) समिति का अध्यक्ष कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे;
- कक) समिति का उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद के पदेन उपाध्यक्ष होंगे;
- ख) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो समिति का भी वित्तीय सलाहकार होगा ;
- ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- घ) भारत सरकार द्वारा नामित सामान्य सभा के तीन से कम पदेन सदस्य;
- च) मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त पर:

कार्यकारी परिषद की कार्य और शक्तियाँ :-

- 1) समिति के उद्देश्य के रूप में संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित समग्र मार्गदर्शन और सामान्य सभा के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, कार्यकारी परिषद सभी आवश्यक कदम उठाएगा ।
- 2) यदि अन्यथा निर्दिष्ट न किया हो , तो कार्यकारी परिषद सभी मामलों का और समिति के धन प्रबंधन करेगा और आम तौर पर समिति के सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी होगा ।

कार्यकारी परिषद की हर साल न्यूनतम तीन बैठकें होंगी और दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक अंतराल नहीं होगा.

1) भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्यकारिणी परिषद समिति को समिति के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए नियमावली बनाने का अधिकार होगा जो इस नियमों से असंगत नहीं होगा

2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जैसे

विनियम, निम्नलिखित मामलों के लिए उपलब्ध करा सकता है:

- क) बजट अनुमान की तैयारी और मंजूरी, व्यय की मंजूरी, अनुबंध के निर्माण और निष्पादन, समिति के धन के निवेश और बिक्री, ऐसे निवेश के लिए परिवर्तन और लेखा और लेखा परीक्षा

- ख) समय समय पर गठित किए और उनके कार्यालय के सदस्यों की अवधि अनुसार सलाहकार बोर्डों या विशेषज्ञ समितियों, स्थायी और अन्य उप समिति द्वारा अधिकार, कार्यों और व्यापार का संचालन
- ग) समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया.
- घ) नियम और नियुक्तियों का कार्यकाल, उपलब्धियाँ, भत्ते, नियम और अनुशासन और समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें
- ङ) समिति के मामलों के उद्देश्य और प्रशासन को बढ़ाने के लिए ऐसे अन्य मामलों जहाँ आवश्यक हो ।

इन नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, कार्यकारी परिषद को समिति के मामलों के संचालन के लिए आवश्यक सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का और बजट प्रावधान के अनुसार उनकी पारिश्रमिक राशि तय करने का और उनके कर्तव्यों को तय करने का अधिकार होगा । कार्यकारी परिषद जहाँ भी आवश्यक लगे अधिकारी नियुक्त करने में अपने अधिकार का प्रयोग करता है और जहाँ बाल चित्र समिति, भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतनमान रू. 900 / - से अधिकतम न हों ।

कार्यकारी परिषद को भारत सरकार, राज्य सरकार, अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों के साथ या व्यक्तियों के साथ ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने का अधिकार होगा जो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, उनके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए और परस्पर सहमत नियमों और शर्तों पर समिति के लिए निधि, अनुदान सहायता, दान और उपहार स्वीकार और हासिल करने के लिए बशर्ते कि इस तरह के अनुदान सहायता, दान या उपहार की शर्तें समिति के उद्देश्यों के साथ या इन नियमों के उपबंधों के साथ संघर्ष में न हो या असंगत न हो ।

कार्यकारी परिषद को चल और अचल संपत्ति या और अन्य किसी भी संलग्न दायित्वों और समिति के उद्दिष्ट और इन नियमों के प्रावधान से असंगत अनुबंध सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों द्वारा खरीद, उपहार, या अन्य द्वारा लेने और अधिग्रहण करने का अधिकार होगा ।

कार्यकारी परिषद को समिति के किसी चल और अचल संपत्ति को बेचने या उधार देने का अधिकार होगा बशर्ते कि समिति की कोई अचल संपत्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बेची नहीं जाएगी ।

भारत सरकार के अनुमोदन के साथ कार्यकारी परिषद संकल्प द्वारा जहा उचित लगे व्यापार के संचालन के लिए अध्यक्ष को अपनी शक्तियों को सौंप सकता हैं, बशर्ते इस तरह के नियम के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई अगली कार्यकारी परिषद की बैठक में रिपोर्ट की जाएगी ।

वित्तीय समिति

- 1) वित्तीय समिति का गठन अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और कार्यकारी परिषद द्वारा उनके सदस्यों में से नामित दो अन्य सदस्यों से होता है।
- 2) कार्यकारी परिषद के नियंत्रण और मार्गदर्शन में वित्तीय समिति सभी वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार होगी ।

निर्माण समिति के कार्य

- 1) निर्माण समिति का गठन अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और कार्यकारी परिषद द्वारा उनके सदस्यों में से नामित तीन अन्य सदस्य से होता है।
- 2) निर्माण समिति कार्यकारी परिषद के नियंत्रण और मार्गदर्शन के अधीन समिति के सभी निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार होगी।

समिति की निधि

समिति की निधि निम्नानुसार होगी :

- i) समिति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान ;
- ii) संबंधितों से अभिदान;
- iii) अन्य स्रोतों से योगदान;
- iv) समिति की संपत्ति से आय;
- v फिल्मों की प्रदर्शनी और वीडियो की बिक्री से आय;
- vi) फिल्मों के प्रसारण से आय
- vii) समिति के अन्य स्रोतों से की प्राप्तियां;

कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक समिति का बैंकर होगा। समिति के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में सभी निधि का भुगतान किया जाएगा और अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में वित्तीय सलाहकार/ कार्यकारी परिषद सदस्यों में से एक सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनकी अनुपस्थिति में समिति के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित किए बिना निकाली नहीं जाए।

समिति का लेखा साधारण सभा हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किया जाए, बशर्ते कि यदि ऐसा भारत सरकार द्वारा निर्देशित होने पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत द्वारा लेखा के लेखा परीक्षा का परीक्षण करेगा।

समिति द्वारा उसके नियंत्रण के तहत दस्तावेजों की श्रेणियाँ

वर्ष 1980 में बनाए गए संघ के ज्ञापन और धारा में समिति के मुख्य उद्दिष्ट और नीतियों को स्थापित किया गया है।

समिति की लेखा पुस्तकें

कार्यकारी परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त

सामान्य निकाय की बैठक के कार्यवृत्त

फिल्मों की सूची

फिल्मों के निर्माण हेतु पटकथा प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रपत्र - प्रपत्र क और प्रपत्र ख.

अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह – गोल्डन एलिफंट हेतु विदेशी और भारतीय फिल्मों को प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्रपत्र /

नियम / विनियम

जनता के सदस्यों द्वारा उनकी नीति और उसके कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में परामर्श या प्रतिनिधित्व हेतु मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

बाल चित्र समिति भारत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त

संस्था है। कार्यकारी परिषद में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि और जनता से नामित किये गए तीन गैर - सरकारी सदस्य होते हैं। बाल चित्र समिति भारत के अध्यक्ष जो फिल्म उद्योग से एक प्रख्यात व्यक्तित्व होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नीति बनाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर्याप्त हो।

बोर्डों, परिषदों, समितियों और दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने उनके हिस्से के रूप में या सलाह के प्रयोजन हेतु गठित अन्य निकायों का विवरण और क्या इन बोर्डों परिषदों, समितियों अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं

निम्नलिखित उप – समितियाँ समिति के सरल प्रशासनिक कार्यपद्धति और समिति के सभी व्यवहारों में पारदर्शिता द्वारा की गठित हैं:

1. निर्माण समिति
2. पटकथा समिति
3. वीडियो और वितरण अधिकार की बिक्री

ऐसी समिति की बैठकों का कार्यवृत्त गोपनीय स्वरूप का नहीं होता है और जनता को उपलब्ध होता है।

बा.चि.स.भा.अधिकारियों की निर्देशिका

नाम और पदनाम	दूरभाष संख्या	ई-मेल
1.श्री अमोल गुप्ते अध्यक्ष	91-22-23517148	chairperson@cfsindia.org
2.डॉ. श्रवण कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी	91-22-23526798	ceo@cfsindia.org
3.श्री वी. कृष्णन प्रशासनिक अधिकारी व जनसूचना अधिकारी, बा.चि.स.भा मुंबई	022-23538592 022-23516136	admin@cfsindia.org
4. श्री डी. रामचंद्रन वितरण अधिकारी एवं सहा.जनसूचना अधिकारी, बा.चि.स.भा., चेन्नई	044-24981159	cfsichennai@cfsindia.org
5.श्री बिपिन चंद्र वितरण अधिकारी एवं सहा.जनसूचना अधिकारी, बा.चि.स.भा., नई दिल्ली	011-24363186	cfsidelhi@cfsindia.org

अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

बा.चि.स.भा. के कर्मचारियों को उनकी जिस संवर्ग में नियुक्ति या पदोन्नति हुई है उसे लागू केन्द्रीय सरकार के वेतनमान के सममूल्य पर वेतन का भुगतान होता है।

कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतन का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

बा.चि.स.भा. कार्मिकों के वेतन का विवरण (01.01.2014 तक)			
क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	श्रेणी वेतन	कुल
1	श्रवण कुमार	8700	115,810
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी		
2	वी. कृष्णन	5400	75,512
	प्रशासनिक अधिकारी		
3	अमीरबानु सुमनानी	4800	63,342
	अध्यक्षा की गोपनीय सचिव		
4	एन.एन.कुलकर्णी	4600	50,186
	सामान्य सहायक		
5	कस्तुरी मोने	4800	52,606
	वरिष्ठ आशुलिपिका		
6	दीपा रासम	4200	35,512
	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक		
7	उदय शेठ्ठे	4200	43,419
	वाहन चालक		
8	शेफाली समनानी	1900	18,914
	टंकक-लिपिक		
9	प्रफुल्ल नांदगांवकर	2000	27,887
	बहु-कार्मिक कर्मचारी		
10	आर.वी.गोडसे	1900	24,247
	बहु-कार्मिक कर्मचारी		
11	नितीन भांडे	1900	21,433
	बहु-कार्मिक कर्मचारी		
12	नितीश धादवड	1800	17,077
	बहु-कार्मिक कर्मचारी		
13	राजेश गोहिल	4600	52,100

	लेखा अधिकारी		
14	स्मिता दाऊदखाने	4600	45,236
	सहा. लेखा अधिकारी		
15	प्रवीण सावर्डेकर	2800	34,486
	लेखा सहायक		
16	अमीना सरगोरा	2800	31,574
	लेखा सहायक		
17	विजय सकपाळ	2800	29,880
	लेखा सहायक		
18	जयसिंह राजपूत	4600	57,842
	सहा. अधिकारी (निर्माण)		
19	अन्नम्मा देवसी	4600	49,888
	आशुलिपिका		
20	सुधीर तारकर	4200	41,914
	सहा. छायाकार		
21	अजय चव्हाण	4200	41,232
	सहा.संपादक		
22	एम.एम.हेरकल	4200	45,192
	सहायक वितरण अधिकारी		
23	विलासिनी परब	4200	42,772
	निरीक्षक (प्रदर्शन)		
24	ए.डी.भगत	4200	41,518
	प्रक्षेपक प्रचालक		
25	जी.पी.ढेकळे	4200	41,518
	प्रक्षेपक प्रचालक		
26	प्रमोद अल्फान्सो	2400	28,406
	वितरण सहायक		
27	जितेंद्र केणी	1900	20,054
	टंकक-लिपिक		
28	बिपीन चंद्र	4600	59,580
	वितरण अधिकारी		
29	डी.एस.नेगी	4600	48,694
	सहा. वितरण अधिकारी		

30	अशोक कुमार	4200	39,428
	सहा. वितरण अधिकारी		
31	सोनु	2400	26,184
	प्रक्षेपक प्रचालक		
32	सुरेश साह	2000	27,564
	बहु-कार्मिक कर्मचारी		
33	डी.रामचंद्रन	4800	67,522
	वितरण अधिकारी		
34	चार्ल्स डिसोजा	4600	51,758
	सहा. वितरण अधिकारी		
35	वी.एस.अगिला	2400	31,596
	वितरण सहायक		
36	ए. मनैय्या	2000	27,894
	बहु-कार्मिक कर्मचारी		
	कुल	134,100	1,529,777

बजटीय आबंटन :

12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत बजटीय आबंटन नीचे दिया गया है। (रू. लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	परिशोधित अनुमान	बजट अनुमान	परिशोधित अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान
		2012-13		2013-14		2014-15	2015-16	2016-17
1	भारतीय फिल्मों का फिल्म महोत्सव और फिल्म बाजार के तहत भारत और विदेशों में प्रचार							
(क)	बाल फिल्मों का स्कूलों में प्रदर्शन	200.00	200.00	100.00	65.00	250.00	250.00	340.00
(ख)	राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव / अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव और अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म	100.00	0.00	350.00	350.00	125.00	350.00	175.00

	महोत्सवों में सहभागिता							
2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण							
(क)	बाल फिल्मों का निर्माण (बा.चि.स.भा.)	1,000.00	1,000.00	800.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	कुल	1,300.00	1,200.00	1,250.00	1,015.00	1,375.00	1,600.00	1,515.00

आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके :-

फिल्मों के निर्माण के लिए योजना के तहत प्राप्त बजटीय अनुदान बाहरी स्रोतसे सेवा प्राप्त परियोजनाओं द्वारा बच्चों की फिल्मों को बनाने पर खर्च कर किया जाता है।

बा.चि.स.भा. को "नगरपालिका स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन" योजना के तहत अनुदान प्राप्त होता है। यह आवंटन विभिन्न सरकारी और गैर - सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग में निःशुल्क फिल्म प्रदर्शनी हेतु खर्च किया जाता है और इस योजना के तहत परिचालन व्यय बजटीय अनुदान से पूरे करते हैं। हर साल पूरे भारत, खासकर सुदूर क्षेत्रों से 30 लाख से अधिक बच्चों इस योजना के लाभार्थी हैं। फिल्में सिनेमाघर और स्कूल हॉल में निःशुल्क दिखाए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जानकारी के संबंध में विवरण

बा.चि.स.भा. का सभी विवरण वेबसाइट 'www.cfsindia.org' पर उपलब्ध है।

सार्वजनिक प्रयोग हेतु बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्यसमय सहित जानकारी नागरिकों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

बा.चि.स.भा. द्वारा पुस्तकालय या वाचनालय जैसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। हमने एक फिल्म लाइब्ररी बनाई है जहाँ किराया शुल्क के भुगतान पर फिल्मों को वैयक्तिक या स्कूल प्रदर्शन हेतु उधार दिया जाता है। वीसीडी / डीवीडी निजी प्रदर्शन हेतु बिक्री के लिए उपलब्ध है।

नाम, पदनाम और अन्य सार्वजनिक सूचना अधिकारियों का विवरण :

1. अपीलीय प्राधिकारी : डॉ. श्रवण कुमार, भा.रा.से.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बा.चि.स.भा., मुंबई,
दूरभाष : 022-2352 6798

2. जन सूचना अधिकारी : ई-मेल: ceo@cfsindia.org
श्री वी. कृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी,
बा.चि.स.भा, मुंबई
दूरभाष: 022-2353 8592
3. सहायक जन सूचना अधिकारी : ई-मेल: admin@cfsindia.org
श्री डी. रामचंद्रन
वितरण अधिकारी
बा.चि.स.भा, चेन्नई
दूरभाष : 044-24981159
4. सहायक जन सूचना अधिकारी : ई-मेल : cfsichennai@cfsindia.org
श्री बिपिनचंद्र पंत
वितरण अधिकारी,
बा.चि.स.भा, नई दिल्ली
दूरभाष : 011-24363186
ई-मेल : cfsidelhi@cfsindia.org
